



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

पंजीकृत डाक से, पावती सहित

क्रमांक सं.3992/आरटीआई/प्र.अ.07/2016

04 अगस्त, 2016

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)  
प्रथम अपील क्र.07/2016**

**अपीलार्थी : श्री मनमोहन सिंह, S/o श्री नर्वदेश्वर सिंह, ग्राम कुशहारा, पो.डोहरिया बाज़ार,  
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पिन 273015.**

**निर्णय**

**प्रस्तावना :**

श्री मनमोहन सिंह अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक जून 13, 2016 द्वारा मुद्रा लोन न मिलने पर कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। जिसके उत्तर में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा 21/07/2016 को आदेश सं.1904 पारित किया गया है। उत्तर से संतुष्ट न होने के कारण अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की है जो मुझे 03/08/2016 को प्राप्त हुई है।

मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 21/07/2016 का आदेश सं.1904, एवं अपील का भलीभाँति अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था न कि कोई जानकारी मांगी गई फिर भी प्रार्थी की सहायता के उद्देश्य से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन के रूप में जानकारी प्रदान की गई। उस निर्णय से भी सन्तुष्ट न होने पर अपील प्रेषित की गई है जिसमें निर्णय में त्रुटि बताने की अपेक्षा आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा कोई जानकारी नहीं मांगी गई तत्पश्चात भी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा मदद के रूप में अधिनियम के बाहर जाकर सूचना दी है अतः मेरे विचार में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है अतः यह अपील निरस्त की जाती है।


....2

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

**निर्णय :** अपील निरस्त की जाती है ।

प्रार्थी के सहायता करने के उद्देश्य से सूचित किया जाता है कि वह भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित अधिकारी श्री पी.के.मिश्रा, महाप्रबंधक (एस एम ई) से [gm.sme@sbi.co.in](mailto:gm.sme@sbi.co.in) पर अथवा 022-22740510 पर सम्पर्क कर सकता है । अथवा उत्तर प्रदेश के टोल फ्री न.18001027788 पर सम्पर्क कर सकता है । चूंकि अपील में फीस का प्रावधान नहीं है पोस्टल आर्डर प्रार्थी को वापिस प्रेषित किया जाए ।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जाए ।

  
4.8.2016

[शैलेन्द्र महलवार]

मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी